

三七

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
आगरा मण्डल आगरा।

卷之三

संघिव<sup>१</sup>  
कोन्दीय मार्ग्यमिक शिक्षा परिषद  
शिक्षा केन्द्र-२, समुदाय कोन्द  
प्रीति विहार नई दिल्ली।

पत्रांक-एस०टी० / एन०ओ०सी० /

13-07-16 /2016-2017 दिनांक

विषय-एडिफाई वर्ल्ड स्कूल, एनोएच०-२, फिरोजाबाद को ३००००० रुपये। नई दिल्ली से रामबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

二五〇

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या-2762 / 15-13-91-4(46) / 91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 एवं राजाज्ञा संख्या-1918(1) / 15-7-09-1(299) / 2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 संपर्कित शिक्षा निदेशक, (मा०) के प्रत्यक्ष-सा०(1) / शिविर / एन०ओ०८०१० / 7153 / 2009-2010 दिनांक 01 अक्टूबर, 2009 के आतोक में एकर्थ गण्डलायुक्त आगरा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 11.07.2016 में लिए गए निर्णय के क्रम से एडिक्याई वर्ल्ड स्कूल, एन०एच०-२, फिरोजाबाद को सी०वी०एस०इ०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार का निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अधीन आपत्ति नहीं है।

- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
  - विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
  - विद्यालय ने कम से 'कम' 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित घासी/जल जाति के मैलाडी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् /वेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में डिभिन कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
  - संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि ऐसे में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा, विद्यालय की सम्बद्धता सेट्रल बोर्ड ऑफ सीकंडरी एज्यूकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फौर दि इण्डिकेन स्कूल सटीफिकेट एजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतं समाप्त हो जायेगा।
  - संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्र कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
  - कर्मचारियों की सेवा शर्ते हनयाँ जारी-हो उन्हें सहायता-प्राप्त-आशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
  - राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेंगे।
  - विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपञ्च पंजिकाओं में रखा जायेगा।
  - उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा-105 से 107 के अन्तर्गत डिभिन बर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
  - उक्त शही में राज्य सरकार के पूर्वानुगोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

(पैगेज़ ०००-२)

*S. Dan*  
PRINCIPAL  
EDIFY WORLD SCHOOL  
FIROZABAD

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था ने लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी रणनीति वह पाया जाए है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की दृढ़ या स्थिरता वरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुपत्ति प्रनाश-यज्ञ वापस ले लिया जायेगा।

मबदीय

डा० (प्रदीप कुमार)  
सदरय सचिव एवं  
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
आगरा।

पृष्ठा-एसटी०/एन०ओ०सी०/ ३५६०-६७ / 2016-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-मण्डलायुक्त, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-सचिव, (मा०सी०) उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ।
- 3-शिक्षा निदेशक(मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
- 5-जिला विद्यालय निरीक्षक, फिरोजाबाद।
- 6-निरीक्षक, ओग्स भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7-प्रबन्धक, एडिफाई वर्ल्ड स्कूल, एन०ए०-२, फिरोजाबाद।
- 8-गांड काइल।

डा० (प्रदीप कुमार)  
सदरय सचिव एवं  
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
आगरा।

*S. Ram*  
PRINCIPAL  
EDIFY WORLD SCHOOL  
FIROZABAD

*Manager*  
MANAGER  
EDIFY WORLD SCHOOL  
FIROZABAD